

निर्णय बड़जलास डॉ. गौरव सैनी आई०पी०एस० जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, गंगापूर सिटी

प्रकरण सं० 20/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा वजीरपुर जिला गंगापूर सिटी (राज.) जसिमे प्राधिकृत अधिकारी

प्राप्ती

बनाम

1. श्री शंकर सैन पुत्र श्री नन्नू सैन ग्राम व पोस्ट खण्डीप, तहसील वजीरपुर, जिला गंगापूर सिटी

प्राप्ती

2. श्री नन्नू सैन पुत्र श्री हावुड्या सैन ग्राम व पोस्ट खण्डीप, तहसील वजीरपुर, जिला गंगापूर सिटी

प्राप्ती

The Application under section 14 of the securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act, 2002

—आदेश—

दिनांक 30.07.2024

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से एडवोकेट सत्येन्द्र खोरनियां, द्वारा The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत पेश कर ऋणी/सहऋणी/जमानती से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 24/11/2022 को प्रार्थी बैंक से राशि 400000 (चार लाख रुपये) ₹0 की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के एवज में अप्रार्थीगण ने श्री नन्नू सैन पुत्र श्री हावुड्या सैन की पट्टा नं. 57, ग्राम व पोस्ट खण्डीप, तहसील वजीरपुर, जिला गंगापूर सिटी स्थित आवासीय सम्पत्ति, जिसका कुल क्षेत्रफल 165 वर्गगज है, को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि व व्याज राशि का समय अवधि में जमा नहीं कराने के कारण अप्रार्थीगण /ऋणी के खाता को दिनांक 27.11.2023 को N.P.A. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक को दिनांक 31/12/2023 तक राशि 5,88,693.74 (पांच लाख अठ्यासी हजार छः सौ तिरानवे रुपये चौहत्तर पैसे मात्र) ₹0 व इसके पश्चात् के व्याज व अन्य खर्च ,लागत इत्यादि अप्रार्थीगण पर बकाया निकलता है जिसे अप्रार्थीगण के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा राशि व देय व्याज राशि की अदायगी हेतु राशि प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये प्रार्थना की गई है।

सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को सुनने का प्रावधान नहीं है। अतः हमारे द्वारा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी बैंक को अप्रार्थीगण द्वारा ऋण का भुगतान नहीं करने पर दिनांक 27.11.2023 को व्यक्तिगत डिफॉल्ट होने पर एनपीओ घोषित किया गया है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 31/12/2023 तक राशि 5,88,693.74 (पांच लाख अठ्यासी हजार छः सौ तिरानवे रुपये चौहत्तर पैसे मात्र) ₹0 व इसके पश्चात् के व्याज एवं अन्य खर्च लागत इत्यादि अप्रार्थीगण पर बकाया निकलता है जिसे भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक से लिये गये ऋण का भुगतान नहीं किये जाने, तत्पश्चात् प्रार्थी बैंक द्वारा बकाया मांग राशि की प्राप्ति हेतु



J. Saini
3-12-24


जिला कलक्टर
गंगापूर सिटी (राज०)

नियमों के परिपेक्ष्य में समुचित कार्यवाही करने के पश्चात् भी गांग राशि का भुगतान अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किये जाने पर प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा की 14 के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा गिरवीकृत परिसम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को सुपुर्द करने की मांग की गई है। सरफेरी एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट की संतुष्टि उपरांत जमानत स्वरूप बंधक रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक को कब्जे में दिलवाने में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है।

अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शर्तों के तहत प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। ऋण की अदायगी हेतु अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक में श्री नन्नु सैन पुत्र श्री हाबुड्या सैन की पट्टा नं, 57, ग्राम व पोस्ट खण्डीप, तहसील वजीरपुर, जिला गंगापुर सिटी स्थित आवासीय सम्पत्ति, जिसका कुल क्षेत्रफल 155 वर्गगज है, पर शांति पूर्वक मौके पर भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा अधिकृत व्यक्ति को दिलवाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, गंगापुर सिटी को आदेशित किया जाता है। प्रार्थी बैंक इस बाबत पुलिस अधीक्षक, गंगापुर सिटी से सम्पर्क कर प्रार्थी बैंक में गिरवीकृत सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही करे। तहसीलदार, वजीरपुर को भौतिक कब्जा हस्तांतरण के दौरान की अवधि के लिए मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे तत्समय कानून व्यवस्था सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, गंगापुर सिटी व तहसीलदार, वजीरपुर को भिजवायी जावे। सरफेरी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को सुनने का प्रावधान नहीं है, किन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय की प्रति अप्रार्थीगण को भी भिजवायी जावे जिससे वह ऋणदाता से सम्पर्क स्थापित कर ऋण चुकता कर प्रकरण का निरस्तारण करा सके। इसी क्रम में अप्रार्थीगण को इस आदेश से असंतुष्ट होने की दशा में सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु एक माह की अवधि प्रदान की जाती है जिसके पश्चात् यह निर्णय प्रभावी हो जावेगा व प्रार्थी बैंक द्वारा अग्रिम कार्यवाही अगल में लाई जा सकेगी। पत्रावली फ़ैसल शुगर होकर बाद तकमिल दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(डॉ. गौरव सैनी)
जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज०).